

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक साधिकार प्रकाशित	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary <i>Published by Authority</i>
		भाद्र 1, सोमवार, शाके 1932—अगस्त 23, 2010 <i>Bhadra 1, Monday, Saka 1932—August 23, 2010</i>

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

पर्यावरण विभाग

कमरा नं. 8324, उत्तरी-पश्चिमी खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर

फोन : 0141—2227669, 2227393

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 19, 2010

संख्या प.5(4)पर्या./84/पार्ट प्रथमः—जल (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 28 की उप-धारा (2) एवं वायु (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) की धारा 31 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल जल एवं वायु अपीलीय प्राधिकरण का पुनर्गठन निम्नानुसार तुरंत प्रभाव से करते हैं :—

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1. | अध्यक्ष,
राजस्व मंडल, अजमेर | — | अध्यक्ष |
| 2. | प्रमुख शासन सचिव (विधि),
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर | — | सदस्य |
| 3. | श्री बी. एस. शर्मा,
सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
जयपुर। | — | सदस्य |

जल एवं वायु अपीलीय प्राधिकरण का सचिवालीय कार्य पर्यावरण विभाग द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

यह अधिसूचना उक्त संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक मई 10, 2010 के अधिक्रमण में जारी की जा रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
 डॉ. वी.एस. सिंह,
 प्रमुख शासन सचिव,
 पर्यावरण विभाग।